उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 55 /2017/589/92-2-17-144जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 05 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही को अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन समुचित ढंग से न कराने, शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने, स्वंतत्रता दिवस के दिन अपने कार्यालय में ध्वजारोहण न करने आदि अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1516/92-2-15-57अधि0/ 2015 दिनांक 27.08.2015 द्वारा निलम्बित किया गया तथा शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3324/92-2-15-57अधि0/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.07.2016 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री त्रिवेदी के विरूद्ध अधिरोपित 06 आरोपों में से 05 आरोप स्थापित पाये गये। जांच अधिकारी की जांच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध मे उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र दिनांक 03.08.2016 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता का अभ्यावेदन मांगा गया। श्री त्रिवेदी द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 22.08.2016 शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की जांच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त सहमति दिनांक 30.11.2016 के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3134/2016//92-2-16-144जांच/2015 दिनांक 30.11.2016 द्वारा श्री पी0के0 त्रिवेदी, (निलम्बित) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही को कार्यालय-ज्ञाप सं0-1516/92-2-15-57अधि0/2015 दिनांक 27.08.2015 द्वारा किये गये निलम्बन को समाप्त करते हुए सेवा में बहाल किया गया तथा उनके मूल पद सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पद पर उन्हे पदावनत करते हुये उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 22.12.2015 को समाप्त किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- श्री त्रिवेदी के निलम्बन अवधि दिनांक 27.08.2015 से 30.11.2016 तक के वेतन भत्तों के भुगतान के लिए शासन के पत्र सं0-53/92-2-2017-144जांच/2015, दिनांक 13.01.2017 द्वारा श्री त्रिवेदी को नोटिस निर्गत करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-5 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार फाइनेन्शियल हैण्ड बुक भाग-2, भाग-2 से 4 के नियम-54 के अधीन उत्तर/स्पष्टीकरण मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 17.01.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध कराया गया।

5- श्री त्रिवेदी के स्पष्टीकरण दिनांक 17.01.2017 एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री त्रिवेदी को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 मे उल्लिखित बृहद दण्ड देते हुए उन्हे अधिशासी अभियन्ता के पद से उनके मूल पद सहायक अभियन्ता के पद पर पदावनत किया गया है। अतः श्री त्रिवेदी की निलम्बन अवधि दिनांक 27.08.2015 से 30.11.2016 तक को कर्तव्यार्थ अवधि न मानते हुए निलम्बन अवधि मे भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ते तक ही सीमित रखते हुए श्री त्रिवेदी के स्पष्टीकरण दिनांक 17.01.2017 को एतद्वारा निस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 55 /2017/589(1)/92-2-2017 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- श्री पी0के0 त्रिवेदी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-82(11)/4/ए.डी.सी. /एस-12/2016-17 दिनांक 30.11.2016 के सन्दर्भ में।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुकत सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in